सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 347 राँची, बुधवार, 3 आषाढ़, 1948 (श०) / 24 जून, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

23 जून, 2026

संचिका सं0-01/मु०स्था०-45/2025- 1833/रा०--

विषयः- गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में।

झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत W.P.(S) No. 256/2018 सरगुन प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24.04.2023 को पारित न्यायादेश से आच्छादित एवं गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत निम्नलिखित 05 (पाँच) कर्मियों को उनके सम्मुख पद एवं वेतनमान पर सेवा नियमित करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता हैः-

क्र.	नाम	पदनाम	स्वीकृत वेतनमान
01.	श्री प्रदीप कुमार, दैनिक मजदूर	अनुसेवक	5200-20200, ग्रेड पे-1800, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-I
02.	श्री मधु मेहत्तर, दैनिक मजदूर	अनुसेवक	5200-20200, ग्रेड पे-1800, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-I
03.	श्री सुनील किशोर कापरी, दैनिक मजदूर	अनुसेवक	5200-20200, ग्रेड पे-1800, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-I
04.	श्री प्रवीण कुमार साह, दैनिक मजदूर	अनुसेवक	5200-20200, ग्रेड पे-1800, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-I
05.	मो0 जियाउल, दैनिक मजदूर	अनुसेवक	5200-20200, ग्रेड पे-1800, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-I

2. उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मियों की सेवा नियमितीकरण निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन होगीः-

I. उक्त कार्रवाई मात्र एक समव्यवहार (One time measure) के लिए की जायेगी एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

II. उपर्युक्त कर्मियों को नियमितीकरण के लाभ नियमित नियुक्ति की तिथि से देय होंगे।

III. उपर्युक्त कर्मियों को योगदान देने की तिथि से वास्तविक वित्तीय एवं अन्य सुविधा देय होगा।

IV. योगदान की तिथि से अगले दो वर्षों अथवा प्रमाण-पत्रों की जाँच होने (जो बाद में हो) तक इनकी सेवा परिवीक्षा (Probation) पर होगी।

V. उपर्युक्त कर्मियों की सेवा झारखण्ड सरकार द्वारा गठित सुसंगत नियमावली के अधीन होगी।

VI. उपायुक्त, गोड्डा झारखण्ड सरकार द्वारा गठित सुसंगत नियमावली के आलोक में उपर्युक्त कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव संबंधी कागजातों की जाँच कर अपने स्तर से संतुष्ट होकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. विभागीय संलेख ज्ञापांक-1593, दिनांक-09.06.2026 के द्वारा झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.06.2026 में मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 347-- 50